

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59-अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 465/योजना/एनआर-1/NREGS-MP/2010

भोपाल, दिनांक 20/1/2010

प्रति,


मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला सागर
मध्यप्रदेश

विषय: NREGS-MP के अंतर्गत निर्माण कार्यों में एनजीओ/स्वसहायता समूह को क्रियान्वयन एजेंसी बनाए जाने बाबत।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक. 1226 दिनांक 24.6.09

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा एनआरईजीएस-एमपी के अंतर्गत निर्माण कार्यों में एनजीओ/स्वसहायता समूह को क्रियान्वयन एजेंसी बनाए जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उपरोक्त संबंध में लेख है कि एनआरईजीएस-एमपी के अंतर्गत अधिनियम अनुसार राज्य शासन से अधिकृत एनजीओ को ही क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है।


(रूही खान)

उपायुक्त


राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्र. 466/योजना/एनआर-1/NREGS-MP/2009

भोपाल, दिनांक 20/1/2009

प्रतिलिपि :-

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(रूही खान)

उपायुक्त

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल